

[2025] 1 एस.सी.आर. 1691 : 2025 आईएनएससी 150

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 1667-1668 वर्ष 2021)

16 जनवरी 2025

[विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता * , न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय मुद्दे

ऐसे मामले में जहां विचारण न्यायालय ने डीएनए प्रतिवेदन पर भरोसा किया, क्या डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षा आयोजित करने और प्रतिवेदन जारी करने की प्रक्रिया में शामिल वैज्ञानिक विशेषज्ञों का परीक्षण न करने से न्याय में विफलता हुई और विचारण को दूषित कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थीगण को मृत्युदंड दिया गया।

शीर्ष बिंदु

साक्ष्य- डीएनए प्रोफाइलिंग प्रतिवेदन - वैज्ञानिक गवाहों की परीक्षण न होना - आरोपी को वैज्ञानिक विशेषज्ञों/विशेषज्ञ गवाहों की परीक्षण कराने का अधिकार - आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 धारा 376(डीबी) - दंड संहिता, 1860 - धारा 363, 366ए, 376(2)(एम), 307 - लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012- धारा 5(जी), 5(जे)(iii)(एम), 5(आर) सहपठित धारा 6 - अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि - डीएनए प्रोफाइलिंग जांच करने और प्रतिवेदन जारी करने की प्रक्रिया में शामिल वैज्ञानिक विशेषज्ञों का परीक्षण न होना, हालांकि विचारण न्यायालय ने डीएनए प्रतिवेदन पर भरोसा किया था, क्या इससे न्याय में विफलता हुई?

अभिनिर्धारित किया: हाँ - अपीलार्थीगण को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए- डीएनए प्रोफाइलिंग प्रतिवेदन (प्रदर्श-157) एक ऐसा दस्तावेज़ है जिस पर अभियोजन पक्ष का पूरा मामला आधारित है - स्वीकार्य रूप से कि पुलिस अधीक्षक (अ.सा.- 31) ने अपने साक्ष्य में इसे औपचारिक रूप से प्रदर्शित किया था - हालांकि, डीएनए प्रोफाइलिंग परीक्षा आयोजित करने और प्रतिवेदन जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किसी भी वैज्ञानिक विशेषज्ञ से अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण नहीं किया गया -

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

मामले के पंजीकरण की तिथि से दो महीने से भी कम समय में अनुचित जल्दबाजी में और अभियुक्तों को बचाव का उचित अवसर दिए बिना ही विचारण समाप्त कर दी गई- डीएनए प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बयान सुनिश्चित न करने के कारण न्याय में बाधा उत्पन्न हुई - विचारण न्यायालय के आदेश रद्द और अपास्त कर दिए गए- डीएनए प्रतिवेदन तैयार करने और जारी करने से संबंधित वैज्ञानिक विशेषज्ञों को सभी सहायक सामग्री सहित तलब करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया, निर्देश जारी किए - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 366, 391, भारत का संविधान, अनुच्छेद 142 [पैरा 22, 23, 29, 30]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2019] 18 एससीआर 1196: (2019) 20 एससीसी 196 - पर भरोसा किया गया।

राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय [2022] 9 एससीआर 1129: (2023) 1 एससीसी 83; *जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य* [2004] 3 एससीआर 1050: (2004) 4 एससीसी 158; *नवीन @ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य* [2023] 14 एससीआर 977: (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1365 का संदर्भ दिया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012; भारत का संविधान।

कुंजी शब्दों की सूची

वैज्ञानिक गवाहों का परीक्षण न होना; वैज्ञानिक विशेषज्ञ; वैज्ञानिक अधिकारी; डीएनए प्रोफाइलिंग प्रतिवेदन; आरोपी का वैज्ञानिक विशेषज्ञों का परीक्षण कराने का अधिकार; मृत्युदंड;

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

बाल पीड़ित; बलात यौन हमला; आरोपी को बचाव का उचित अवसर न मिलना; बचाव का उचित अवसर; बचाव का निष्पक्ष अवसर; न्याय में विफलता; गंभीर पूर्वाग्रह; वैज्ञानिक विशेषज्ञों की अभिसाक्ष्य; यौन संबंध; गंभीर हमला; मृत्युदंड की पुष्टि; प्रयोगशाला दस्तावेज; न्याय का उल्लंघन; रिमांड; वैज्ञानिक विशेषज्ञों को बुलाना; अनुचित जल्दबाजी; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 391; भारत के संविधान का अनुच्छेद 142.

किससे उद्धृत प्रकरण

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 1667-1668/2021

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के दिनांक 09.09.2021 के निर्णय एवं आदेश से, आपराधिक अपील क्रमांक 7215/2018 और सीआरआरएफसी क्रमांक 14/2018 में।

साथ

आपराधिक अपील क्रमांक 220 / 2022

पक्षकारों की और से उपस्थित अधिवक्तागण

अपीलार्थी की और से अधिवक्तागण :

सिद्धार्थ अग्रवाल, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री श्रेया रस्तोगी, सुश्री साक्षी जैन, विश्वजीत भाटी, करण ढल्ला, मंगेश नाइक, मो. इरशाद हनीफ, अरविंद कुमार शुक्ला, सुश्री रीतू शर्मा, एच.आर. खान, निहाल अहमद, तुषार स्वामी, कुणाल यादव, शांतनु शुक्ला, सुश्री इशिता चौधरी, माधव गुप्ता, सुश्री सबीहा फातमा, सिद्धार्थ सरूप।

प्रत्यर्थी की और से अधिवक्तागण :

पशुपति नाथ राजदान, सुश्री रश्मी नंदकुमार, सुश्री यशिमता पांडे।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफान उर्फ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

मेहता, न्यायमूर्ति

1. ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर स्थित युगल पीठ द्वारा 9 सितंबर, 2021 को दिए गए निर्णय पर आपति जताती हैं¹, जिसके तहत अपीलार्थी इरफान उर्फ भयू मेवाती³ और आसिफ मेवाती⁴ द्वारा दायर आपराधिक अपील² को खारिज कर दिया गया था और द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, मंदसौर, मध्य प्रदेश⁷ द्वारा अग्रेषित किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973⁶ की धारा 366 के तहत संस्थित आपराधिक संदर्भ⁵ को स्वीकार कर लिया गया तथा अपीलार्थीगण को दी गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की गई।
2. अपीलार्थीगण पर सत्र मामला क्रमांक 141/2018 में भारतीय दंड संहिता 1860⁸ की धारा 363, 366-ए, 376(2)(एम), 307, आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की धारा 376(डीबी) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012⁹ की धारा 6 के साथ पठित धारा 5(जी), 5(जे)(iii)(एम) और धारा 5(आर) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने 21 अगस्त, 2018 के फैसले के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और उन्हें निम्नानुसार सजा सुनाई:

-
- 1- इसके बाद इसे 'उच्च न्यायालय' कहा जाएगा।
 - 2- आपराधिक अपील क्रमांक 7215/2018 इरफान उर्फ भयू मेवाती द्वारा दायर की गई थी, और आपराधिक अपील .7269 of 2018 आसिफ मेवाती द्वारा दायर किया गया था।
 - 3- इसके बाद इसे इरफान कहा जाएगा ।
 - 4- इसके बाद इसे 'आसिफ' कहा जाएगा।
 - 5- आपराधिक संदर्भ क्रमांक 14/2018.
 6. इसके बाद इसे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा।
 7. इसके बाद इसे विचारण न्यायालय कहा जाएगा।
 8. इसके बाद इसे 'आईपीसी' कहा जाएगा।
 9. इसके बाद इसे 'पोक्सो' कहा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

दोषसिद्धि		सजा	
धारा एवं अधिनियम	कारावास	जुर्माना	जुर्माना के व्यतिक्रम पर कारावास
363 भारतीय दंड संहिता	7 साल	रु. 10,000/-	6 महीने
366- अ भारतीय दंड संहिता	7 साल	रु. 10,000/-	6 महीने
307 भारतीय दंड संहिता (अपीलार्थी इरफान के संबंध में)	आजीवन कारावास	रु. 10,000/-	6 महीने
307/34 भारतीय दंड संहिता (अपीलार्थी आसिफ के संबंध में)	आजीवन कारावास	रु. 10,000/-	6 महीने
आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की धारा 376(डीबी)	गर्दन से लटका कर मरते दम तक लटकाए रखना		

3. अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग आपराधिक अपीलें¹⁰ दायर कीं। धारा 366 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि के लिए विचारण न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजा गया था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपीलों और विचारण न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ को 9 सितंबर, 2021 के सामान्य निर्णय के अनुसार ऊपर बताए अनुसार निर्णीत किया गया था, जो विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों में चुनौती का विषय है।

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

4. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि 26 जून, 2018 को श्रीमती कमलाबाई (अ.सा.-7) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी¹¹ दर्ज कराई कि उनकी पोती¹², जो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, कक्षाओं के बाद स्कूल परिसर से लापता हो गई। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर, धारा 363 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। अगले दिन, यानी 27 जून, 2018 को, जांच एजेंसी को सूचना मिली कि पीड़ित बच्ची को गवाह करण (अ.सा.-10) ने घायल अवस्था में देखा था। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित बच्ची को मंदसौर के सिविल अस्पताल ले गई, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर के एम.वाय. अस्पताल रेफर कर दिया गया।
5. पीड़ित बच्ची को उपचार दिया गया तथा उसका ऑपरेशन किया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने पुलिस अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई तथा आरोप लगाया कि घटना वाले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह बाहर इंतजार कर रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति आया तथा उसके मुंह में जबरन मिठाई (लड्डू) ठूस दी। इसके बाद हमलावर उसे जबरन एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। उसके जबरन कपड़े उतारे गए तथा मिठाई देने वाले व्यक्ति ने उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने उसके हाथ पकड़ लिए। पुलिस ने कथित बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल से पीड़ित बच्ची के अंडरवियर, पत्थर, बीयर की बोतल, स्कूल बैग, जूते, खून से सनी मिट्टी तथा सामान्य मिट्टी जैसी आपत्तिजनक वस्तुएं एकत्र की गईं, उन्हें सील किया गया तथा एफएसएल¹³ को भेजा गया। आस-पास के दुकानदारों से पूछताछ की गई तथा घटनास्थल से सटी तीन दुकानों से सीसीटीवी फुटेज एकत्र की गई। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। पीड़िता और उसके रिश्तेदारों के परिचित लोगों को

11 मामला क्रमांक 327/2018.

12 इसके बाद, इसे 'बाल पीड़ित' के रूप में संदर्भित किया जाएगा.

13 फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और उन्होंने इन फुटेज में पीड़िता और अपीलार्थीगण की पहचान की।

6. अपीलार्थीगण को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल परिसर में पहचान परेड (टी।पी.) आयोजित की गई, जिसके दौरान गवाह (अ.सा.-10), जिसने कथित तौर पर पीड़िता को हमलावरों द्वारा ले जाते हुए देखा था, ने उनकी पहचान अपराधियों के रूप में की। पीड़िता बच्ची को फोटो एल्बम भी दिखाए गए जिनमें आरोपियों की तस्वीरें और उनसे मिलते-जुलते दिखने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें थीं। उसने एल्बम से दोनों आरोपियों (यहां अपीलार्थीगण) की सही पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जिन्होंने उसके साथ जघन्य अपराध किया था। चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पीड़िता बच्ची से विभिन्न नमूने जैसे मुख स्वाब, योनि स्लाइड, योनि पैड आदि लिए गए और उन्हें सीलबंद अवस्था में जांच अधिकारी को सौंप दिया गया, जिन्होंने इन नमूनों को डीएनए विश्लेषण के लिए एफएसएल भेज दिया।
7. अपीलार्थीगण से पूछताछ की गई और उन्होंने अलग-अलग बयान दिए, जिसके आधार पर घटना के समय उनके द्वारा पहने गए कपड़े और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया। दोनों आरोपियों की चिकित्सा जांच की गई और रक्त के नमूने, वीर्य के नमूने और गुसांग के बाल, नाखून आदि एकत्र किए गए। अपीलार्थी इरफान के शरीर पर खरोंच और दांतों के काटने के निशान पाए गए और उसके गुसांग पर लालिमा भी थी, जिसे उसके द्वारा जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का संकेत माना गया।
8. पीड़िता की चिकित्सकीय जांच से पता चला कि न केवल उसके साथ यौन संबंध बनाए गए थे, बल्कि इसके अतिरिक्त, उस पर गंभीर हमले भी किए गए थे, जिससे उसके गले और गुसांगों में चोटें आई थीं, और दबाव के कारण उसकी एक आंख बाहर निकल आई थी जिससे उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। उसके अश्रु और गुदा में छेद पाए गए थे, और मल त्याग में आसानी के लिए उसके पेट में एक मार्ग बनाने के लिए उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ी।

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

9. जांच पूरी हो गई और अपीलार्थीगण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन पर उपर्युक्त धाराओं¹⁴ के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए। अपीलार्थीगण ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और खुद को निर्दोष बताया। 37 गवाहों का परीक्षण किया गया और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण के अपराध को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज पेश किए। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की और उन्हें अभियोजन पक्ष के मामले में लगाए गए आरोपों से अवगत कराया, जिन्हें उन्होंने नकार दिया और खुद को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
10. विद्वान विचारण न्यायालय ने 21 अगस्त, 2018 के फैसले के माध्यम से अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई¹⁵। अपीलार्थीगण ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपीलों¹⁶ दायर करके अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी। चूंकि अपीलार्थीगण को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय ने धारा 366 सीआरपीसी के तहत मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला भेजा।
11. 9 सितंबर, 2021 के सामान्य निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा भेजे गए संदर्भ का सकारात्मक उत्तर दिया, जिसमें अपीलार्थीगण को दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की गई, जिसे विशेष अनुमति से इन अपीलों में चुनौती दी गई है।
12. अपीलार्थीगण ने सीआरपीसी की धारा 391 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आईए संख्या 98928/2022 दायर की है, जिसमें प्रयोगशाला के सभी दस्तावेज और विशेषज्ञ गवाहों के परीक्षण की मांग की गई है। आवेदन में की गई प्रार्थना इस प्रकार है: -

14 पैरा 2 देखें।

15 पैरा 2 देखें।

16 नोट 2 देखें।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

"ए. विद्वान द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पीओसीएसओ, मंदसौर को निर्देश दिया जाए कि वे डॉ. अनिल कुमार सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक रसायन परीक्षक, मध्य प्रदेश सरकार, एफएसएल सागर, जो डीएनए रिपोर्ट की कार्यप्रणाली, विश्लेषण और निष्कर्षों के बारे में गवाही देने के लिए सक्षम होंगे, को तलब करें और मुख्य परीक्षा की अनुमति दें, साथ ही आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जिरह की अनुमति दें।"

बी. विद्वान द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पीओसीएसओ, मंदसौर को निर्देश दिया जाए कि वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार की जिरह की अनुमति दें, एफएसएल सागर की दिनांक 11.07.2018 की रिपोर्ट (संख्या /DNA/1078, 1087 और 1132/2018) से संबंधित संपूर्ण प्रयोगशाला दस्तावेजों को मंगवाकर और उनकी सहायता से, जो माननीय द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पीओसीएसओ, मंदसौर के समक्ष एसटी 88/2018 में दायर की गई थी, जिसमें वर्तमान मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- i. प्राप्त सभी नमूनों के लिए निष्कर्षण, मात्रा निर्धारण, प्रवर्धन और जीनोटाइपिंग हेतु किए गए परीक्षणों और प्रयुक्त विधियों से संबंधित सभी प्रयोगशाला दस्तावेज, जिनमें कार्यपत्रक, बेंच नोट्स और उपकरण लॉग शीट शामिल हैं;
- ii. किए गए परीक्षणों और उनके परिणामों का विस्तृत और संपूर्ण प्रयोगशाला दस्तावेजीकरण;
- iii. प्राप्त सभी नमूनों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल और इलेक्ट्रॉनिक कच्चे डेटा (.fsa) के लिए इलेक्ट्रोफेरोग्राम, एलीलिक लैंडर और उपयोग किए गए नियंत्रण नमूने;
- iv. प्राप्त सभी नमूनों की जांच में प्रयुक्त कार्य प्रक्रिया नियमावली, जिसमें डीएनए नियमावली और सीरोलॉजी नियमावली शामिल हैं;
- v. इस मामले में डीएनए निष्कर्षण, मात्रा निर्धारण, प्रवर्धन और जीनोटाइपिंग के लिए उपयोग किए गए किटों का विवरण और ऐसे किटों के मैनुअल; और

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

vi. एफएसएल सागर में जांच के लिए भेजे गए सभी सामानों की अभिरक्षा श्रृंखला का पूर्ण दस्तावेजीकरण, जिसमें उपयोग की गई पैकेजिंग सील और नमूना सील का विवरण शामिल हो।

सी. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाए कि वह आवेदक से धारा 313 सीआरपीसी के तहत ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य के संबंध में परीक्षण करे। आवेदन में उल्लिखित आधारों को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

ए. अपीलार्थी को डीएनए रिपोर्ट को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश पत्र के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र 10.07.2018 को दाखिल किया गया था। उस तारीख को, अपीलार्थी के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण से एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया था; हालांकि, उक्त अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं थे। डीएनए रिपोर्ट की प्रतीक्षा के दौरान ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था। दिनांक 11.07.2018 की डीएनए रिपोर्ट दिनांक 19.07.2018 को ही अदालत में प्रस्तुत की गई। इसके बाद, 8 दिनों में दिनांक 8.08.2018 तक 37 अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया गया। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलार्थी का परीक्षण एक दिन बाद दिनांक 9.08.2018 को की गई और मामले को अंतिम बहस के लिए दिनांक 10.08.2018 को सूचीबद्ध किया गया।

7. डीएनए रिपोर्ट वैज्ञानिक प्रकृति की होने के कारण, इसके लिए गहन अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उपरोक्त समयसीमा को देखते हुए, अपीलार्थी को मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान उक्त रिपोर्ट को सार्थक रूप से समझने और चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार रिपोर्ट को समझने के लिए किसी भी मूल सामग्री को मंगवाने या डीएनए विशेषज्ञ की जांच कराने का आदेश नहीं दिया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। यह रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया त्रुटियों के बावजूद है, जिनका उल्लेख नीचे भाग बी में किया गया है। डीएनए रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए पर्याप्त और सार्थक अवसर से वंचित करने के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलार्थी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

बी. डीएनए रिपोर्ट में मौजूद वे महत्वपूर्ण मुद्दे जो रिपोर्ट को अविश्वसनीय बनाते हैं

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

8. डीएनए साक्ष्य की प्रथम दृष्ट्या जांच से कई विसंगतियां सामने आती हैं, जो नमूनों की प्रामाणिकता और डीएनए परीक्षण की सटीकता एवं विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती हैं। इन विसंगतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. **योनि पैड (आइटम आर) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल और उसी स्रोत से तैयार किए गए साक्ष्य नमूनों में विसंगति:** डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श पी.157) के अनुसार, योनि पैड (आइटम आर) से प्राप्त वाई-एसटीआर डीएनए प्रोफाइल आवेदक के वाई-एसटीआर प्रोफाइल से मेल खाता है। हालांकि, अभियोक्त्री के अन्य जननांग नमूने जो उसी और समान स्रोतों से तैयार किए गए हैं, जैसे कि योनि स्लाइड, योनि स्लाइड (आइटम ओ), स्मीयर ट्यूब (आइटम क्यू) और वल्वल स्मीयर (आइटम यू) में कोई पुरुष वाई-एसटीआर प्रोफाइल नहीं पाया गया, जिससे वल्वल पैड (आइटम आर) की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दिनांक 27.06.18 को पीड़िता को सिविल अस्पताल मंदसौर लाए जाने के बाद योनि स्लाइड (आइटम ओ) पहला नमूना था जो उससे लिया गया था। 6 दिन बाद, दिनांक 02.07.2019 को, स्मीयर ट्यूब (आइटम क्यू), वल्वल स्मीयर (आइटम यू) और वल्वल पैड (आइटम आर) को एमवाई अस्पताल इंदौर में एकत्र किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गृह मंत्रालय के फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस) के चिकित्सा चिकित्सकों के लिए दिशानिर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि योनि या गर्भाशय ग्रीवा के स्वैब लेने से पहले वल्वल स्वैब लेना चाहिए ताकि योनि के नमूनों को लेबिया मेजोरा जैसे बाहरी भागों पर मौजूद डीएनए से दूषित होने से बचाया जा सके। [यौन उत्पीड़न मामलों में फॉरेंसिक चिकित्सा परीक्षा के लिए डीएफएसएस एमएचए दिशानिर्देश, 2018, पृष्ठ 8] उस स्थापित प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के बावजूद, वल्वल पैड (आइटम आर) में पुरुष डीएनए की उपस्थिति और योनि स्लाइड (आइटम ओ) में नहीं होने से महत्व प्राप्त होता है।

ii. **व्यापक चिकित्सा प्रक्रियाओं और नमूने एकत्र करने में देरी के बावजूद योनि पैड (आइटम आर) और नाखूनों (आइटम टी) में पुरुष डीएनए की उपस्थिति:** अभियोक्त्री को 6 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, योनि पैड (आइटम आर) और नाखून (आइटम टी) को स्मीयर ट्यूब (आइटम क्यू) और योनि स्मीयर

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(आइटम यू) के साथ दिनांक 02.07.18 को एकत्र किया गया था (प्रदर्श पी.16, पृष्ठ. 239 हिंदी टीसीआर)। इस अवधि के दौरान, अभियोक्त्री की योनि, पेरिनियल और मलाशय सहित कई व्यापक चिकित्सा प्रक्रियाएं और उपचार किए गए थे (देखें प्रदर्श पी.78 पृष्ठ. 188, प्रदर्श 86 पृष्ठ. 199, प्रदर्श 97 पृष्ठ. 213, प्रदर्श पी.108 पृष्ठ. 228, प्रदर्श पी.एलएल1 पृष्ठ. 231, प्रदर्श 113 पृष्ठ. 234 हिंदी टीसीआर)। ऐसी स्थिति में, यौन उत्पीड़न के 7 दिन बाद (घटना के कथित समय के लगभग 163 घंटे बाद) एकत्र किए गए योनि पैड में व्यवहार्य पुरुष वाई-एसटीआर डीएनए का पता लगाना असंभव होगा। इसके लिए, स्थापित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और साहित्य का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के 96 घंटे बाद योनि के नमूनों से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिशानिर्देश एवं प्रोटोकॉल, यौन हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सा-कानूनी देखभाल, 2014 पृष्ठ 29, 59; ग्रिंगास एट अल. 1000 यौन उत्पीड़न मामलों में जैविक और डीएनए साक्ष्य, फॉरेंसिक साइंस इंटरनेशनल: जेनेटिक्स सप्लीमेंट सीरीज 2 (2009) 138-140] इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री से दिनांक 27.06.2018 को एमवाई अस्पताल इंदौर में नाखून, पैड, बालों की कंघी, घास और मिट्टी के नमूने, और लेबिया और पोस्टीरियर फोर्निक्स से लिए गए स्वाब सहित नमूनों का एक सेट एकत्र किया गया था (प्रदर्श 85, पृष्ठ 198 हिंदी टीसीआर)। इन नमूनों के संग्रह के बाद कोई ज़बती ज़ापन तैयार नहीं किया गया था और डॉक्टरों द्वारा संग्रह के बाद इन नमूनों की अभिरक्षा श्रृंखला अज्ञात है। इसके बावजूद, चूंकि चिकित्सा अभिलेख के अनुसार अभियोक्त्री के नाखून दिनांक 27.06.2018 को एकत्र किए गए थे, इसलिए 6 दिन बाद दिनांक 02.07.2018 को एकत्र किए गए नाखून के नमूनों के दूसरे सेट पर वाई-एसटीआर डीएनए का पाया जाना असंभव होगा।

iii. योनि पैड (आइटम आर) की अभिरक्षा श्रृंखला में मुद्दे, जिनके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग परिणामों की आगे की जांच आवश्यक है: एमवाई अस्पताल इंदौर के चिकित्सा अभिलेखों (प्रदर्श 116, पृष्ठ 239-240 हिंदी टीसीआर) के अनुसार, योनि पैड (आइटम आर) को 4 स्वाब (पेरिनियम, योनि, प्रीएनल और गुदा से), 2 स्मीयर, रक्त के नमूने, बाल और नाखून के टुकड़ों के साथ दिनांक 02.07.2018

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

को दोपहर 1 बजे एकत्र किया गया और पुलिस कांस्टेबल अर्चना डोडिया (760) को सौंप दिया गया। हालांकि, जब्ती ज़ापन (प्रदर्श 181, पृष्ठ 348 हिंदी टीसीआर) और पुलिस द्वारा एसएफएसएल सागर को भेजे गए अग्रेषण ज़ापन (प्रदर्श 154) के अनुसार, इन वस्तुओं को दिनांक 29.06.2018 को जब्त किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिनांक 29.06.2018 को पीड़िता से कोई नमूना एकत्र नहीं किया गया था। इसलिए, योनि पैड (आइटम आर) की पहचान और अभिरक्षा संदिग्ध है।

iv. जननांगों के बालों की पहचान पर संदेह (आइटम 1): आइटम 1 को आवेदक के जननांगों के बाल बताया गया है, जिनसे मिश्रित डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया है और जिसमें अभियोक्त्री का डीएनए प्रोफाइल शामिल होने की सूचना दी गई है। हालांकि, मिश्रित डीएनए प्रोफाइल में 24 आनुवंशिक मार्करों या लोसी (TH0J, D22S1045, D10S1248, Y-Inde एल, DYS391) में से 5 पर आवेदक का डीएनए शामिल नहीं है (पृष्ठ 302 हिंदी टीसीआर), जिससे जननांगों के बालों की पहचान पर संदेह उत्पन्न होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीएनए रिपोर्ट आइटम आई में आवेदक के डीएनए के इस बहिष्करण का उल्लेख करने में विफल रही है और निष्कर्षों और राय में आइटम आई को आवेदक के जननांगों के बाल के रूप में गलत तरीके से संदर्भित किया गया है।

v. कपड़ों से आवेदक के डीएनए का न मिलना (पैट आइटम के, कमीज आइटम एल और बनियान आइटम एन): अभियोजन पक्ष का कहना है कि आइटम के और एल वे कपड़े हैं जो आवेदक ने अपराध करते समय पहने थे। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, पैट आइटम के और बनियान आइटम एन में केवल एक ही स्रोत का डीएनए प्रोफाइल है जो पीड़िता के डीएनए से मेल खाता है। इसके अलावा, आइटम एल में मिश्रित डीएनए प्रोफाइल पाया गया है, जिसमें पीड़िता का डीएनए होने की रिपोर्ट है। हालांकि, आवेदक को इस मिश्रित डीएनए प्रोफाइल से 24 में से 9 स्थानों (D8S1179, D19S433, TH01, D22S1045, D13S317, D7S820, D10SJ248, D1S1656, D12S391) पर बाहर रखा गया है (पृष्ठ 302 हिंदी टीसीआर)। इसलिए, आवेदक के डीएनए का कोई भी अंश उससे संबंधित कपड़ों पर नहीं पाया गया है, जिससे गंभीर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि किसी व्यक्ति के कपड़ों में डीएनए के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, जिनमें त्वचा, लार, पसीना, वीर्य, रक्त आदि शामिल हैं।

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

vi. अपराध स्थल से प्राप्त बालों (आइटम वाय) और आवेदक की कमीज (आइटम एल) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में अज्ञात एलील्स की उपस्थिति: कमीज (आइटम एल) से प्राप्त मिश्रित डीएनए प्रोफाइल में 24 में से 5 लोकी (CSFIPO, D21SII, FGA, SE33, D2S 1338) पर अज्ञात एलील्स मौजूद हैं, जो न तो अभियोक्त्री और न ही आवेदक से संबंधित हैं (पृष्ठ 302 हिंदी टीसीआर)। इसके अलावा, अपराध स्थल से प्राप्त बालों (आइटम वाय) से प्राप्त मिश्रित वाय -एसटीआर डीएनए प्रोफाइल में एक लोकस (DYS635) पर एक अज्ञात एलील मौजूद है (पृष्ठ 299 हिंदी टीसीआर)। चूंकि इन दोनों नमूनों में अज्ञात एलील्स की उपस्थिति पाई गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कच्चे डेटा और इलेक्ट्रोफेरोग्राम की समीक्षा करके मिश्रित डीएनए प्रोफाइल की व्याख्या की समीक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए अनुभाग में बताए अनुसार, डीएनए मिश्रणों की व्याख्या के लिए, मिश्रण में किसी व्यक्ति का डीएनए मौजूद है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए, एलील युग्मों (या जीनोटाइप) पर विचार करने हेतु, योगदानकर्ताओं की संख्या, इलेक्ट्रोफेरोग्राम में दिखाई देने वाले एलील्स की शिखर ऊँचाई और शिखर ऊँचाई अनुपात पर विचार करना आवश्यक है। जीनोटाइप की पहचान किए बिना केवल व्यक्तिगत एलील्स का पता लगाना वैज्ञानिक रूप से अमान्य है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डीएनए मिश्रण में एलील ए बी सी डी मौजूद हैं और संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल में एलील सी और डी मौजूद हैं, तो यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि डीएनए मिश्रण में संदिग्ध का डीएनए मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन एलील्स से 10 संभावित जीनोटाइप बन सकते हैं, जैसे एए, बीबी, सीसी, डीडी, एबी, एसी, एडी, बीसी, बीडी, सीडी ऐसे में, यह संभव है कि मिश्रण में जीनोटाइप सीडी मौजूद न हो, भले ही मिश्रण में एलील सी और डी मौजूद हों। इसके अलावा, चूंकि अपराध स्थल से मिले बालों (आइटम वाय) और आवेदक की कमीज (आइटम एल) से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल में अज्ञात एलील्स पाए गए हैं, इसलिए संदूषण की जांच के लिए उपकरण लॉग शीट की आवश्यकता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किन नमूनों को उपरोक्त नमूनों के साथ मिलाया गया था।

डीएनए रिपोर्ट में किसी भी व्याख्यात्मक डेटा के अभाव में, अपराध स्थल पर मिले बालों (आइटम वाई) और आवेदक की कमीज (आइटम एल) में अज्ञात

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

एलील्स की उपस्थिति, डीएनए मिश्रण की व्याख्या के संबंध में और अधिक चिंताएं पैदा करती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है कि इन वस्तुओं में क्रमशः आवेदक और अभियोक्त्री का डीएनए मौजूद है।

vii. **अनेक नमूनों में ऑफ-लैडर एलील की उपस्थिति:** डीएनए रिपोर्ट में दी गई एलीलिक सारणियों के अनुसार, छह नमूनों के ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइल में लोकस SE33 पर एक ऑफ-लैडर पीक दिखाई देता है (पृष्ठ 300 और 304, हिंदी टीसीआर)। इन नमूनों में अपराध स्थल से प्राप्त बाल (आइटम वाई), सह-आरोपी आसिफ से एकत्र किया गया रक्त नमूना (आइटम एफ), अंडरवियर (आइटम ए), जघन बाल (आइटम बी), नाखून (आइटम जेड-4) और बनियान (आइटम जेड-7) शामिल हैं। स्थापित वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुसार, जिसमें फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएफएसएस एमएचए कार्य प्रक्रिया मैनुअल भी शामिल है, एक ऑफ-लैडर पीक या तो एक वास्तविक एलील हो सकता है या डीएनए प्रोफाइलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न एक कृत्रिम संरचना हो सकती है। एक ओएल एलील की प्रकृति निर्धारित करने के लिए, नमूनों का पुनः प्रवर्धन आवश्यक होगा, विशेष रूप से यदि पीक डीएनए मिश्रण में देखा जाता है, जैसे कि अपराध स्थल से प्राप्त बाल (आइटम वाई)। ओएल पीक की प्रकृति का निर्धारण किए बिना डीएनए प्रोफाइल की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके अलावा, डीएफएसएस मैनुअल के अनुसार, ओएल एलील के प्रलेखन के लिए नमूने और संबंधित एलीलिक लैडर के साथ इलेक्ट्रोफेरोग्राम प्रस्तुत करना आवश्यक है। (डीएफएसएस एमएचए, वर्किंग प्रोसीजर्स मैनुअल फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग, 2019, पृष्ठ 131-132): चूंकि कई नमूनों में ओएल एलील पाया गया है, इसलिए यह जांचना आवश्यक है कि इस मामले में ओएल एलील की व्याख्या के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं। इस ओएल एलील की पहचान इन नमूनों में मौजूद अन्य एलीलिक पीक्स की व्याख्या और जीनोटाइपिंग को सीधे प्रभावित करती है। ऐसी जानकारी के बिना, इन नमूनों के संबंध में की गई व्याख्या और निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

ए. आइटम डब्ल्यू में शारीरिक द्रव की पहचान के लिए सीरोलॉजिकल परीक्षण का **अभाव**: अग्रोषण पत्र (पूर्व पीआई 54, पृष्ठ 602 हिंदी टीसीआर) के अनुसार, अपराध स्थल से जब्त की गई मिट्टी (आइटम डब्ल्यू) को "रक्तयुक्त मिट्टी" के रूप में एसएफएसएल सागर भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट इस नमूने को अपराध स्थल से प्राप्त रक्तयुक्त मिट्टी के रूप में संदर्भित करती है और निष्कर्ष निकालती है कि अभियोक्त्री का डीएनए उस नमूने में पाया गया है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस नमूने में रक्त की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई सीरोलॉजिकल परीक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि यह मान भी लिया जाए कि उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल को एलीलिक तालिका में सही ढंग से दर्ज किया गया है, तब भी डीएनए परीक्षण उस जैविक पदार्थ का निर्धारण नहीं कर सकता जिससे डीएनए प्राप्त हुआ है।

बी. डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श 157) अपूर्ण है और अंतर्निहित कारणों के अभाव में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

9. डीएनए रिपोर्ट में डीएनए परीक्षण के दौरान उपयोग किए गए संपूर्ण डेटा और सामग्री शामिल नहीं हैं, जो रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष का आधार बनते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सामग्रियों की जांच किए बिना, न तो यह माननीय न्यायालय और न ही आवेदक डीएनए साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को सत्यापित कर सकता है। स्थापित कानून के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत, विशेषज्ञ का यह कर्तव्य है कि वह "निष्कर्षों की सटीकता का परीक्षण करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मानदंड प्रदान करे ताकि न्यायाधीश मामले के साक्ष्यों द्वारा सिद्ध तथ्यों पर इन मानदंडों को लागू करके अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकें।" (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जय लाल, (1999) 7 एससीसी 280, पैरा 18, रमेश चंद्र अग्रवाल बनाम रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड (2009) 9 धारा 709, पैरा 20)

10. डीएनए रिपोर्ट में केवल एलीलिक सारणियाँ और किए गए परीक्षणों और विश्लेषणों के निष्कर्ष शामिल हैं। प्रत्येक नमूने के लिए निकाले गए और प्रवर्धित डीएनए की मात्रा का विवरण, उपयोग किए गए मात्रा निर्धारण किट, डीएनए प्रोफाइलिंग के विभिन्न चरणों के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रणों का उपयोग, व्याख्या के लिए एलीलिक लैंडर का उपयोग, एलीलिक सारणियाँ

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

तैयार करने के लिए व्याख्या की गई इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कच्चा डेटा और इलेक्ट्रोफेरोग्राम, डीएनए नमूनों की व्याख्या के लिए विधि और सीमाएँ, और मिलान किए गए नमूनों का सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित डेटा और सामग्री आवेदक को प्रदान नहीं की गई हैं।

11. महत्वपूर्ण संदर्भ और साक्ष्य नमूनों के संबंध में अभिरक्षा श्रृंखला के दस्तावेजीकरण में स्पष्ट कमियाँ हैं, जो नमूनों की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं और प्रयोगशाला अभिलेखों की आगे की जाँच की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वस्तु जेड 1 और जेड 2, अर्थात् अभियोक्त्री का रक्त नमूना (जिसका उपयोग अभियोक्त्री का संदर्भ डीएनए प्रोफाइल तैयार करने के लिए किया गया था) और मुख का स्वाब, पत्र संख्या PO/Mand/FSL/177-A/2018 दिनांक 02.07.2018 (प्रदर्श 155, पृष्ठ 292 हिंदी टीसीआर) के साथ SFSL सागर को भेजा गया था। अ.सा.33 एसआई विजय पुरोहित (पृष्ठ 454, हिंदी टीसीआर) के साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने इन वस्तुओं को FSL सागर में जमा कराया था। हालाँकि, SFSL सागर द्वारा दिनांक 03.07.2018 को जारी रसीद (प्रदर्श पी 161, पृष्ठ 311 हिंदी टीसीआर) में उल्लेख है कि ये वस्तुएँ कांस्टेबल ललित (जिनकी जाँच नहीं की गई) द्वारा लाई गई थीं।

12. इसके अलावा, आवेदक को इन दस्तावेजों तक कभी पहुंच नहीं दी गई है और इसलिए, उसे अपने खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इन दस्तावेजों का अभाव इस मामले में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट को धारा 293 सीआरपीसी (पृष्ठ 10 297 हिंदी टीसीआर) के तहत स्वीकार किया गया है और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले डीएनए विशेषज्ञों, डॉ. कमलेश कैथोलिया (वैज्ञानिक अधिकारी), डॉ. प्रवीश भाटी (वैज्ञानिक अधिकारी) और डॉ. अनिल कुमार सिंह (वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक) के साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए हैं। इससे वर्तमान मामले में डीएनए साक्ष्य की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच का दायरा और भी सीमित हो गया है। कई निर्णयों में, इस माननीय न्यायालय ने डीएनए परीक्षण के भाग के रूप में उपयोग किए जाने वाले नमूनों और परीक्षण विधियों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। डीएनए की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, जो इसे संदूषण और डीएनए स्थानांतरण की

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, न्यायालय ने संदूषण की संभावना को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है (अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 69 पैरा 53, मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील 248-250, 2015 दिनांक 20.05.2022 पैरा 139-141, पट्टू राजन बनाम तमिलनाडु राज्य (2019) 4 एससीसी 771 पैरा 52)।

13. संपूर्ण प्रयोगशाला दस्तावेजों की अनुपलब्धता आवेदक के डीएनए साक्ष्य को चुनौती देने के पर्याप्त और सार्थक अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, इन दस्तावेजों के बिना डीएनए साक्ष्य की वैज्ञानिक सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके अलावा, आवेदक द्वारा पहले चरण में इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का अनुरोध न करने से आरोपी के अधिकार का हनन नहीं हो सकता। [मनु शर्मा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ़ दिल्ली) 2010 6 एससीसी 1 (पैरा 220-221), वी.के. शशिकला बनाम राज्य (2012) 9 एससीसी 771 (पैरा 20-21)]

सी. डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श 157) डीएनए विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है।

14. डीएनए रिपोर्ट पर वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. कमलेश कैथोलिया, वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. प्रवीश भाटी और वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं (पृष्ठ 305 हिंदी टीसीआर)। हालांकि, डीएनए रिपोर्ट की सामग्री या निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए इनमें से किसी भी विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई। वास्तव में, डीएनए रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक, अ.सा.31 राकेश मुकाती ने प्रमाणित किया, जिन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि डीएनए रिपोर्ट क्रमांक FSL/DNA/1078, 1087 और 1132/2018 दिनांक 11.07.2018 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई थी और इसे पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली द्वारा मामले के दस्तावेजों में संलग्न करने के उद्देश्य से भेजा गया था (अ.सा.31, पृष्ठ 447 हिंदी टीसीआर)। डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण, अ.सा.31 राकेश मुकाती ने डीएनए प्रोफाइलिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान या डीएनए प्रोफाइल की व्याख्या के आधार पर इस्तेमाल की गई

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

कार्यप्रणाली के बारे में कोई गवाही नहीं दी। इसके अलावा, डीएनए जांच करने वाले डीएनए विशेषज्ञों की अनुपस्थिति को देखते हुए, आवेदक को डीएनए प्रोफाइलिंग के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर जिरह करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो डीएनए साक्ष्य का आधार हैं।

15. विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि उपर्युक्त डीएनए परीक्षण में हुई त्रुटियों को निचली अदालतों ने अनदेखा कर दिया है और डीएनए साक्ष्य को गलत तरीके से लिया गया है। सही वैज्ञानिक और कानूनी स्थिति के विपरीत, माननीय विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 62 में यह भी उल्लेख किया है कि डीएनए प्रोफाइल का पता लगाना एक "उन्नत और सटीक विज्ञान" है। इसलिए, माननीय विचारण न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल नहीं उठाया और उन मतों को तथ्य मान लिया।

16. डीएनए रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए, आवेदक सभी अंतर्निहित दस्तावेजों की एक प्रति चाहता है, जिसमें डीएनए निष्कर्षण, मात्रा निर्धारण, प्रवर्धन और इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कार्यपत्रक, वर्तमान मामले में प्राप्त सभी नमूनों के लिए, प्राप्त सभी वस्तुओं के संबंध में उत्पन्न डीएनए प्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफेरोग्राम, एलीलिक लैंडर और नियंत्रण नमूने, किए गए सभी परीक्षणों का विवरण और उनके परिणाम, वर्तमान मामले में प्राप्त सभी नमूनों की जांच में प्रयुक्त डीएनए कार्य प्रक्रिया मैनुअल, प्राप्त सभी वस्तुओं के लिए पूर्ण अभिरक्षा श्रृंखला दस्तावेज, पैकेजिंग, सील और नमूना सील के विवरण सहित, एफएसएल सागर द्वारा उत्पन्न सभी फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्टों के संबंध में शामिल हैं।

17. आवेदक आगे यह भी निवेदन करता है कि माननीय विचारण न्यायालय को डॉ. अनिल कुमार सिंह या ऐसे किसी भी सक्षम व्यक्ति को तलब करने और उनकी गवाही को अभिलेख में लेने का निर्देश दिया जाए, जो अपनाई गई कार्यप्रणाली, डीएनए प्रोफाइल निकालने के तरीके, किए गए परीक्षणों, एफएसएल सागर के भीतर वस्तुओं की अभिरक्षा श्रृंखला, डीएनए विश्लेषण और डीएनए रिपोर्ट में निष्कर्षों के आधार के संबंध में गवाही दे सके।

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

इस आवेदन पर 10 अगस्त, 2022 को नोटिस जारी किया गया था और राज्य ने इसके जवाब में स्पष्ट रूप से यह दलील दी है कि राज्य एफएसएल ने दस्तावेजों को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा है और वे मध्य प्रदेश के सागर स्थित राज्य एफएसएल में उपलब्ध हैं। यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक अधिकारी अभी भी राज्य एफएसएल की सेवा में हैं, लेकिन उनका तबादला विभिन्न इकाइयों में कर दिया गया है और जब भी न्यायालय आवश्यक समझे, उन्हें प्रस्तुत रिपोर्टों की पुष्टि के लिए तलब किया जा सकता है।

13. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार और उत्साहपूर्वक तर्क दिया कि डीएनए विशेषज्ञों और एफएसएल विशेषज्ञों के साक्ष्य जिन दस्तावेजों पर आधारित थे, उनके संदर्भ में वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच करने की अनुमति से इनकार करने से अपीलार्थीगण को गंभीर नुकसान पहुंचा है और यह मामले की जड़ तक जाता है।
14. उन्होंने यह तर्क दिया कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा हस्ताक्षरित डीएनए रिपोर्ट साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते समय भरोसा किया है। इसलिए, इन वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच न होने से घोर अन्याय हुआ है और संपूर्ण मुकदमा त्रुटिपूर्ण हो गया है।
15. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डीएनए रिपोर्ट पर वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक रासायनिक परीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. कमलेश कैथोलिया और वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. प्रवेश भट्टी के हस्ताक्षर हैं। हालांकि, डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श -157) की सामग्री/निष्कर्षों को साबित करने के लिए इनमें से किसी भी विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई, जिसे पुलिस अधीक्षक राकेश मुकाती (अ.सा.-31) के साक्ष्य के दौरान सिद्ध किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारी के बयान के दौरान डीएनए रिपोर्ट को मात्र प्रदर्शित करना डीएनए प्रोफाइलिंग के विभिन्न चरणों के दौरान उपयोग की गई कार्यप्रणाली या डीएनए प्रोफाइलिंग की व्याख्या के आधार को साबित करने की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

16. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि तालिका में दर्ज एलील संख्या को भी इलेक्ट्रोफेरोग्राम से तुलना करने के बाद संशोधित किया गया था, और आरोपियों को इसका खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि एलील संख्या में एक टाइपिंग त्रुटि थी, जिसे बाद में सुधारा गया था। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मूलभूत सामग्री उपलब्ध न कराने के कारण आरोपियों को गंभीर नुकसान हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि साक्ष्य में विशेषज्ञों का परीक्षण न करने से न्याय का उल्लंघन हुआ है।
17. उन्होंने निवेदन किया कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों (अपीलार्थीगण) के बयान दर्ज करते समय डीएनए रिपोर्ट से संबंधित प्रासंगिक प्रश्न भी उनसे नहीं पूछे गए, जिससे उन्हें गंभीर हानि हुई है। उन्होंने इस न्यायालय के "अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य" मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए आग्रह किया कि आवेदन स्वीकार किया जाए और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को बुलाया जाए तथा अभियुक्तों को संबंधित साक्ष्यों सहित संपूर्ण अभिलेखों के संदर्भ में इन गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर मिल सके, विशेषकर जब उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ रहा है।
18. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ धारा 391 के तहत अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन के जवाब में विस्तृत उत्तर दाखिल किया है। उत्तर में यह दावा किया गया है कि सारणी में दर्ज एलील संख्या में विसंगति मात्र एक टाइपिंग त्रुटि थी और इसलिए, इलेक्ट्रोफेरोग्राम से तुलना करने के बाद इसे सद्भावनापूर्वक ठीक कर दिया गया था। आगे यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के विधायी आदेश के अनुरूप कार्य किया है, जिसके अनुसार धारा 376(डीबी) आईपीसी के तहत अपराध के लिए मुकदमा समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए और इसलिए, मुकदमे की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

19. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और धारा 293 सीआरपीसी के तहत डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत करना वैधानिक आदेश का पर्याप्त अनुपालन है। विशेषज्ञ(यों) का परीक्षण केवल एक औपचारिकता होती, जिससे मुकदमे में देरी होती। ऐसा तर्क देते हुए उन्होंने न्यायालय से आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया।
20. हालांकि, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद करने की स्थिति में नहीं थे कि डीएनए रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक (अ.सा.-31) के साक्ष्य में औपचारिक रूप से प्रदर्शित किया गया था और डीएनए प्रोफाइलिंग प्रक्रिया संचालित करने वाले, रिपोर्ट तैयार करने और जारी करने वाले किसी भी वैज्ञानिक विशेषज्ञ से परीक्षण के दौरान डीएनए प्रोफाइलिंग के विभिन्न चरणों के दौरान उपयोग की गई कार्यप्रणाली या उसकी व्याख्या के आधार के बारे में गवाही देने के लिए पूछताछ नहीं की गई थी।
21. हमने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।
22. यह स्वीकार किया गया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट (प्रदर्श-157) को पुलिस अधीक्षक (गवाह-31) ने अपने साक्ष्य में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। डीएनए प्रोफाइलिंग जांच करने और रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किसी भी वैज्ञानिक विशेषज्ञ से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।
23. डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर अभियोजन पक्ष का पूरा मामला आधारित है। बचाव पक्ष ने इन वैज्ञानिक गवाहों की जांच न किए जाने और विशेषज्ञों को साक्ष्य के रूप में पेश न किए जाने के कारण गंभीर पूर्वाग्रह का दावा किया है, जिससे रिपोर्ट के प्रमाणिक मूल्य पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

24. डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य से संबंधित पहलू को इस न्यायालय ने **राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय के मामले** में स्पष्ट किया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था: -

“36. विद्वान न्यायमित्र ने भी फॉरेंसिक साक्ष्य, अर्थात् 18-4-2012 की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-23/1) पर आपत्ति जताई है, जिसमें दोषी ठहराने वाले निष्कर्ष दिए गए हैं। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह ही अत्यंत संदिग्ध था, इसके अलावा उक्त फॉरेंसिक साक्ष्य न तो वैज्ञानिक रूप से और न ही कानूनी रूप से सिद्ध हुआ था और इसे अपीलार्थी-आरोपी के विरुद्ध किसी भी परिस्थिति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। न्यायालय न्यायमित्र द्वारा दिए गए उक्त तर्कों में बल पाता है। डीएनए साक्ष्य धारा 45 के अंतर्गत परिकल्पित राय साक्ष्य की प्रकृति का है और किसी भी अन्य राय साक्ष्य की तरह, इसका प्रमाणिक मूल्य मामले दर मामले भिन्न होता है।

38. यह सच है कि अ.सा.23 डॉ. बी.के. मोहपात्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीवविज्ञान), सीएफएसएल, नई दिल्ली ने गवाही दी थी और डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित उनकी रिपोर्ट को प्रदर्श संख्या 23/ए के रूप में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि केवल एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से उसकी सामग्री सिद्ध नहीं हो जाती। अभिलेख से पता चलता है कि आरोपी से संबंधित सभी नमूने और मृतक से संबंधित नमूने जांच अधिकारी द्वारा 14-2-2012 और 16-2-2012 को जब्त किए गए थे; और उन्हें 27-2-2012 को जांच के लिए सीएफएसएल भेजा गया था। इस दौरान वे पुलिस स्टेशन के मालखाने में ही रहे। इन परिस्थितियों में, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट में पाए गए निष्कर्षों के मूल आधार की जांच की है और न ही इस तथ्य की जांच की है कि क्या विशेषज्ञों द्वारा तकनीकों का विश्वसनीय रूप से प्रयोग किया गया था। अभिलेख पर ऐसे साक्ष्यों के अभाव में, डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित सभी रिपोर्टें अत्यधिक संदिग्ध हो जाती हैं, विशेष रूप से तब जब जांच के लिए भेजे गए नमूनों के संग्रह और सील करने की प्रक्रिया भी संदेह से परे नहीं थी।

(जोर दिया गया)

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

25. **ज़ाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य**¹⁹ मामले में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य सत्य की खोज करना है और मुकदमा तकनीकी पहलुओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए जिससे निर्दोषों की रक्षा हो और दोषियों को दंडित किया जा सके। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

38. आपराधिक विचारण मामले में मुद्दों की न्यायिक जांच है और इसका उद्देश्य किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना है, जिससे तथ्य संबंधी मुद्दे का पता चल सके और उन तथ्यों का प्रमाण प्राप्त किया जा सके जिन पर अभियोजन पक्ष और आरोपी ने अपने बयानों के माध्यम से सहमति व्यक्त की है; मुख्य प्रश्न आरोपी का अपराध या निर्दोषता है। चूंकि उद्देश्य न्याय प्रदान करना और दोषी को सजा देना तथा निर्दोष की रक्षा करना है, इसलिए विचारण सत्य की खोज होना चाहिए न कि तकनीकी बारीकियों पर बहस, और इसे ऐसे नियमों के तहत संचालित किया जाना चाहिए जो निर्दोष की रक्षा करें और दोषी को दंडित करें। आरोप का प्रमाण, जो उचित संदेह से परे होना चाहिए, साक्ष्यों की समग्रता के न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए, चाहे वे मौखिक हों या परिस्थितिजन्य, न कि किसी एकतरफा जांच पर।

39. अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर न देना विधि की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन है। विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि दोषसिद्धि केवल वास्तविक सुनवाई के बाद ही सुनाई जानी चाहिए, न कि दिखावटी या ढोंग के रूप में। चूंकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने का अवसर आवश्यक है, इसलिए जल्दबाजी में, सुनियोजित, पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारण से यह प्रक्रिया दूषित और बाधित हो सकती है।

40. किसी आपराधिक अपराध के लिए निष्पक्ष सुनवाई में न केवल कानून के ढांचे और स्वरूपों का तकनीकी पालन शामिल है, बल्कि सच्चाई का पता लगाने और न्याय

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

के उल्लंघन को रोकने के लिए इसके सिद्धांतों को सार रूप में मान्यता देना और उनका उचित अनुप्रयोग करना भी शामिल है।

26. विचाराधीन विवाद इस न्यायालय के **अनोखिलाल (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय से पूरी तरह से संबंधित है, जिसमें इस न्यायालय ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया था, क्योंकि पूरी सुनवाई एक महीने से भी कम समय में पूरी हो गई थी और डीएनए रिपोर्ट मामले के लगभग अंत में प्राप्त हुई थी, और ऐसी प्राप्ति के बाद, यद्यपि तकनीकी रूप से आरोपी को अवसर दिया गया था, इस मुद्दे पर उसी दिन निर्णय ले लिया गया था। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

26. आपराधिक मामलों में शीघ्र निपटान निःसंदेह आवश्यक है और यह स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी का हिस्सा है। हालांकि, प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास निष्पक्षता और आरोपी को मिलने वाले अवसर के मूलभूत तत्वों की कीमत पर नहीं होने चाहिए, जिन सिद्धांतों पर न्याय का संपूर्ण आपराधिक प्रशासन आधारित है। शीघ्र निपटान की खोज में, न्याय के उद्देश्य को कभी भी उपेक्षित या बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोपरि न्याय का उद्देश्य है और इसे सुनिश्चित करने वाले मूलभूत तत्वों को मूल विचार और आदर्श के रूप में रखते हुए, प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने से कभी भी न्याय के उद्देश्य का दमन नहीं होना चाहिए।

28. सावधानी के तौर पर हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां मृत्युदंड एक वैकल्पिक सजा हो सकता है, अदालतों को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी को हर स्तर पर पूरा अवसर मिले।

29. अतः, हमें विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को रद्द करने और नए सिरे से विचार करने का कोई संकोच नहीं है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता को निम्नलिखित मुद्दों पर कोई भी दलीलें देने की छूट होगी: (i) क्या विचारण न्यायालय द्वारा विरचित

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

आरोपों में संशोधन की आवश्यकता है या नहीं; (ii) क्या अभियोजन पक्ष के किसी गवाह को आगे की जिरह के लिए पुनः बुलाया जाना आवश्यक है; और (iii) क्या एफएसएल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के जवाब में किसी विशेषज्ञ साक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके बाद, मामले पर कानून के अनुसार अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विचार किया जाएगा।

27. इस न्यायालय ने **अनोखिलाल (उपरोक्त)** मामले में, निर्णय के पैरा 31 में तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कुछ मानदंड भी प्रदान किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"31. विदा होने से पहले, हमें कुछ मानदंड निर्धारित करने होंगे ताकि इस मामले में हमने जिन कमियों को देखा है, वे दोबारा न दोहराई जाएं:

31.1. उन सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मृत्युदंड की संभावना है, केवल उन्हीं विद्वान अधिवक्ताओं को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त करने या कानूनी सेवाओं के माध्यम से किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने बार में कम से कम 10 वर्षों का अभ्यास किया हो।

31.2. मृत्युदंड की पुष्टि से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए सभी मामलों में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए।

31.3. जब भी किसी विद्वान अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया जाता है, तो अधिवक्ता को मामले की तैयारी के लिए कुछ उचित समय दिया जा सकता है। इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। हालांकि, सामान्यतः कम से कम सात दिन का समय उचित और पर्याप्त माना जा सकता है।

31.4. किसी भी विद्वान अधिवक्ता को, जिसे अभियुक्त की ओर से न्यायमित्र नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः संबंधित अभियुक्त से मिलने और चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार की बातचीत सहायक सिद्ध हो सकती है, जैसा कि इम्तियाज रमजान खान के मामले में देखा गया था।

28. इसके अलावा, इस न्यायालय ने **नवीन उर्फ़ अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य**²⁰ के मामले में, जिसमें आरोपी से धारा 294 सीआरपीसी के तहत आवश्यक दस्तावेजों को स्वीकार करने के बारे

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

में कभी नहीं पूछा गया था और न ही रिपोर्टों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों को बुलाया गया था, मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया था, यह मानते हुए कि आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। इस फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

8.यह ध्यान देने योग्य है कि एफएसएल रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इन्हें 4 मई 2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त से कभी यह नहीं पूछा गया कि क्या वह दस्तावेजों को स्वीकार करता है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के तहत आवश्यक है। न ही इन रिपोर्टों को साबित करने के लिए किसी गवाह को बुलाया गया। 8 मई 2018 को अभियोजन पक्ष का मामला बंद होने के बाद, अभियुक्त का परीक्षण अगले ही दिन यानी 9 मई 2018 को आयोजित की गई और उसके बाद अगले दिन यानी 10 मई 2018 को बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण के लिए मामला नियत किया गया।

यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आरोपी जेल में था और उसकी ओर से उसकी पसंद का अधिवक्ता नहीं बल्कि कानूनी सहायता प्राप्त अधिवक्ता पेश हुआ था। वह स्वयं गवाह पेश करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी उसे अगले दिन यानी 10.05.2018 को अपने गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया था। इस तारीख को वह अपने गवाहों को पेश नहीं कर सका, इसलिए उसकी पैरवी समाप्त कर दी गई और अवकाश के बाद अंतिम बहस के लिए मामला स्थगित कर दिया गया।

22. इस मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को साबित करना होगा और इस कड़ी में महत्वपूर्ण सूत्र डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट हैं। जब आरोपी ने उच्च न्यायालय में इन रिपोर्टों को चुनौती दी, तो उच्च न्यायालय ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि भले ही रिपोर्टों के लेखकों को साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया गया हो, लेकिन धारा 293 सीआरपीसी के तहत रिपोर्टों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि बचाव पक्ष को मुकदमे के दौरान रिपोर्टों के लेखकों से जिरह करने का अवसर मिला था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही

[2025] 1 एस.सी.आर.

इरफ़ान उर्फ़ भायू मेवाती बनाम मध्य प्रदेश राज्य

नहीं था कि बचाव पक्ष को विशेषज्ञों से जिरह करने का अवसर मिला था। मुकदमा प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया, जिसमें आरोपी, जो जेल में था और कानूनी सहायता प्राप्त अधिवक्ता द्वारा बचाव किया जा रहा था, को विचारण न्यायालय द्वारा एक ही दिन में अपने बचाव पक्ष के गवाह को पेश करने के लिए बाध्य किया गया था। आरोपी के लिए स्वयं डॉ. अनिल कुमार सिंह और डॉ. कमलेश कैथोलिया, रिपोर्टों (प्रदर्श पी.-72) के लेखकों को एक ही दिन में पेश करना असंभव था क्योंकि उक्त विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी हैं और जेल में बंद आरोपी के अनुरोध पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते थे। विचारण न्यायालय ने आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो उसके पास कोई जादुई छड़ी हो जिससे वह फोन पर ही उच्च योग्यता प्राप्त सरकारी विशेषज्ञों को पेश कर सके। अपीलार्थी को वास्तव में विशेषज्ञों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला।

(जोर दिया गया)

29. यह मामला मृत्युदंड से संबंधित है, इसलिए आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। इस मामले में सुनवाई आरोपी को बचाव का उचित अवसर दिए बिना और मामला दर्ज होने की तारीख से दो महीने से भी कम समय में समाप्त कर दी गई, जो अनुचित जल्दबाजी को दर्शाता है। डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बयान सुनिश्चित न करना न्याय की विफलता का कारण बना है, जिससे सुनवाई त्रुटिपूर्ण हो गई है।
30. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम अपीलार्थीगण द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हैं। मामले को विचारण न्यायालय में वापस भेजा जाता है, जो डीएनए रिपोर्ट तैयार करने और जारी करने से जुड़े वैज्ञानिक विशेषज्ञों को सभी सहायक सामग्री सहित तलब करेगी। इन वैज्ञानिक विशेषज्ञों को न्यायालय के गवाह के रूप में तलब किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को क्रमशः पूछताछ का उचित अवसर दिया जाएगा। यदि आरोपी अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो इस न्यायालय द्वारा *अनोखिलाल (उपरोक्त)* मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त अनुभव रखने वाले बचाव पक्ष के अधिवक्ता को आरोपी का बचाव करने और नए सिरे से सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

31. वैज्ञानिक विशेषज्ञों की गवाही दर्ज होने के बाद, नए साक्ष्यों के संदर्भ में अभियुक्तों से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पुनः पूछताछ की जाएगी। उन्हें बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, विचारण न्यायालय पुनः दलीलें सुनेगी और कानून के अनुसार मामले का नए सिरे से फैसला करेगी। उपरोक्त निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्राप्ति तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
32. उपरोक्त चर्चा केवल डीएनए रिपोर्ट से संबंधित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच कराने के आरोपी के अधिकार के मुद्दे तक ही सीमित है और इसे मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा, जिस पर इस आदेश में हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए विचार किया जाएगा।
33. परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2018 को पारित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9 सितंबर, 2021 को पारित निर्णय को रद्द और अपास्त किया जाता है।
34. तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।
35. लंबित आवेदन यदि कोई हो को निराकृत कर दिया जाए ।

मामले का परिणाम: अपीलें स्वीकार की गईं।

अनुवाद द्वारा -

श्री रविन्द्र गरसिया

कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक

म.प्र.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर